# पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 281/2024

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.09.20243

**हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक- 10.09.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयीः-

### 01.थाना- फूलपुरः मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना/इतिहास–**

अवगत कराना है कि दिनांक 09-09-2024 को वादी मुकदमा सेराज पुत्र अब्दुल गफ्फार सा0 नेवादा, थाना फूलपुर जिला आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दि0 08/09-09.24 की रात्रि समय 12-01 बजे घर में पत्नी मौजुद थी कि विपक्षी मोहम्मद तुफेल पुत्र मैनुद्दीन, 2-मोहम्द आकिब पुत्र तुफेल 3-मो0 बबलू पुत्र तुफेल 4-मो0 आतिक पुत्र तुफेल 5-ओबैदुल्ला पुत्र मुंशीरजा साकिनान नेवादा थाना फूलपुर आजमगढ 6- मो0 बेलाल पुत्र वसीम सा0 माहुल थाना अहरौला आजमगढ 7-अताउल्ला पुत्र इमरान सा0 कमरावा थाना गम्भीरपुर आजमगढ द्वारा घर में घुस कर पत्नी को गाली गलौज करते हुए मारपीट कर घर से बाहर निकाल कर बेलचा, हथौडा, घना आदि से दिवाल व करकट गिरा कर घर को नष्ट किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 464/24 धारा 3(5)/119(2)/331(6)/324(4)/352/351(2)115(2)बीएनएस बनाम मोहम्मद तुफेल पुत्र मैनुद्दीन आदि 07 नफर पजीकृत किया गया जिसकी विवेचना व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द थाना फूलपुर के द्वारा कि जा रही है।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक- 10.09.2024 को व0उप निरीक्षक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त तुफेल अहमद पुत्र मैनुद्दीन सा0 नेवादा थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 53 वर्ष को भोरमऊ तिराहे पर जाने वाले मार्ग से समय 10-35 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

**02.थाना- तरवा: मारपीट कर जान से मारने की धमकी मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि ग्राम कोटा के करन कुमार पुत्र अरविन्द राम की माँ बिन्दू देवी की बकरी भोनू सिंह के बगीचे में चली गयी तो भोनू सिंह ने करन कुमार की माँ को जाति सुचक शव्दो का प्रयोग करते हुए कि विवाद किया गया कि दिनांक 10/08/24 को साम लगभग 8.00 बजे कोटा पुल पर तीन व्यक्ति, जिसमें विवेक सिंह S/O ववलू सिंह, व पोयम पाण्डे S/O विक्रम पाण्डे, व नितीन उर्फ निरहू S/O अमरनाथ विश्वकर्मा निवासी ग्राम कोट थाना तरवा जनपद आजमगढ़ द्वारा करन कुमार पुत्र अरविन्द राम निवासी ग्राम कोटा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के मोटर साईकिल एवं मोबाईल छीन लिए और अपने साथ उठाकर ले गये और बाँध कर चैन और डण्डे से मारते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर पिस्टल के बट से मारकर बेहोश कर दिया गया तथा इस घटना का वीडीयो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना तरवां पर दिनांक-11.08.2024 को मु0अ0स0 237/24 धारा 110,115 (2),352,351( 2),309 (6),140 (3) BNS व ,3(1) द ,3(1)ध, 3(2)5 ( va), 3(2)v एससी एसटी एक्ट बनाम विवेक सिंह S/O ववलू सिंह, व पोयम पाण्डे S/O विक्रम पाण्डे, व नितीन उर्फ निरहू S/O अमरनाथ विश्वकर्मा निवासी ग्राम कोट थाना तरवा जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा सम्पादित की जा रही है अभियुक्तगण उपरोक्त के घर व मिलने वाले सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी जिसमें अभियुक्तगण विवेक सिंह S/O ववलू सिंह, नितीन उर्फ निरहू S/O अमरनाथ विश्वकर्मा निवासी ग्राम कोट थाना तरवा जनपद आजमगढ़ अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये अन्तरिम जमानत करा लिये है व अभियुक्त पोयम पाण्डेय पुत्र विक्रम पाण्डेय अभी भी फरार चल रहा है।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक 10.09.2024 को व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजन कुमार पुत्र स्व0 सुदामा सा0 कोटा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को उसके घर से ही समय करीब 9.40 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

**03.थाना निजामाबादः चोरी की दो घटनाओं का अनावरण; चोरी की एक मोटरसाइकिल व अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि थाना स्थानीय पर निम्नलिखित चोरी की घटनाएं 1. दिनांक 08.09.2024 को शिवपाल यादव पुत्र रमेश चन्द्र यादव निवासी वजीरमलपुर थाना निजामाबाद आजमगढ की होण्डा साइन मोटर साइकल UP50AY7602 सेन्टरवा बाजार में स्थित दुकान के सामने से चोरी हो गया था। जिसके संबन्ध में दिनांक 08.09.24 को मु0अ0सं0 440/24 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत कर जाँच व विवेचना हेतु उ0नि0 चन्द्रजीत यादव को प्राप्त हुआ।

02. दिनांक 30.08.2024 को प्रा0वि0 डिहवाबारी के प्रभारी प्रधानाध्यापक जय प्रकाश यादव पुत्र केदार नाथ यादव ने सूचना दिया कि विद्यालय के रसोई कक्ष का ताला तोड़ कर अज्ञात चोरों द्वारा पांच बोरी चावल व एक बोरी गेहूं,एक गैस सिलेण्डर चोरी कर लिया गया है। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 30.08.2024 को मु0अ0सं0 425/24 धारा 305,331(4) BNS बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत कर जाँच व विवेचना हेतु उ0नि0 उमेश सिंह को प्राप्त हुआ। अभियुक्त की गिरफ्तारी और चोरी के माल के बरामदगी के पश्चात धारा 317(2) BNS की बढ़ोत्तरी की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण –**

आज दिनांक 10.09.2024 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त धर्मजीत यादव उर्फ कतवारू पुत्र स्व0 लालचन्द्र यादव निवासी नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को चोरी की एक मोटर साइकिल व 01 अवैध चाकू के साथ नेवादा के पास समय 03.00 बजे भोर में पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उक्त मोटरसाइकिल दिनांक 08.09.24 को सेन्टरवा बाजार से चुराया था तथा प्रा0 विद्यालय डिहवाबारी से दिनांक 30.08.24 की रात को चोरी की गयी थी।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 449/24 धारा 317(2) BNS व 4/24 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**04.थाना गम्भीरपुर: शराब ठेकों पर तथा उसके आस पास शराब पीकर उत्पात मचाने वाले 30 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की गई।**

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में दिनांक 09.09.2024 को थानाध्यक्ष थाना गम्भीरपुर आमजमगढ़ मय हमराह द्वारा शराब ठेकों पर तथा उसके आस पास शराब पीकर उत्पात मचाने वाले 30 व्यक्तियों 1.विशाल पुत्र अनुरुद्ध निवासी ग्राम रानीपुर रजमो थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ 2.अभिषेक कुमार पुत्र सुभाष कुमार निवासी ग्राम कमरावां थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ,3 दिनेश कुमार पुत्र सिट्ठू राम निवासी ग्राम कमरावां थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ 4. राजू प्रजापति पुत्र श्रीनाथ प्रजापति निवासी ग्राम नगरैया जहानपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ 5. सोनू चौहान पुत्र रविन्द्र चौहान निवासी ग्राम दयालपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ 6.मिथलेश कुमार पुत्र रामअवतार सा0 हरदोई थाना सान्डील जनपद हरदोई , 7. यशवन्त कुमार पुत्र रामवृक्ष निवासी ग्राम मसूदपट्टी म़डैया थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ , 8. राहुल सरोज पुत्र हरिश्चन्द्र सरोज निवासी ग्राम बहोरापुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ , 9. मोनू सोनकर पुत्र साहबलाल निवासी ग्राम बिन्द्रा बाजार थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ , 10. गुड्डू पुत्र सालीम निवासी ग्राम बिन्द्रा बाजार थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, 11. दीपक पुत्र हरिराम निवासी ग्राम बिन्द्रा बाजार थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़,12. मनोज कुमार पुत्र रामसूरत निवासी ग्राम गोमाडीह थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, 13. ललसू राम पुत्र फिरतू राम निवासी ग्राम गोमाडीह थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, 14. प्रवीण जायसवाल पुत्र रामखेलावन निवासी ग्राम उबारपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, 15. विनोद पुत्र घुरहू निवासी ग्राम उबारपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, 16. रजनीश कुमार पुत्र रामपलट निवासी ग्राम मसूदपट्टी मडैया थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, 17. रामू कुमार पुत्र दयाराम निवासी ग्राम मसूदपट्टी मडैया थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, 18. राकेश यादव पुत्र वंशराज यादव निवासी ग्राम गंभीरपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, 19. सुरेन्द्र पुत्र रुदल निवासी ग्राम गंभीरपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, 20. नितीश कुमार पुत्र रामचेत निवासी ग्राम विषहम मीरजापुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ , 21.विवेक पुत्र प्रेमचन्द्र

निवासी ग्राम  हूंसेपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ । 22. राजू पुत्र  प्रेमशंकर सा0 गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ , 23.बबलू कुमार पुत्र सोम्मर कुमार  निवासी ग्राम रानीपुर रजमो थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, 24. साकिब पुत्र आरिफ निवासी ग्राम कलन्दरपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ , 25. राहुल पुत्र श्रीलाल निवासी ग्राम पहिलेपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमढ़ , 26.अनिल पुत्र भोला निवासी ग्राम रानीपुर रजमो थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ , 27. परविन्द पुत्र भंडारी निवासी ग्राम छाऊ थाना गंभीरपुर जनपद आजमढ, 28. संदीप पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम जमालपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, 29. रोहित पुत्र दशरथ निवासी ग्राम गंभीरपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, 30. श्रवण कुमार पुत्र मुन्नालाल निवासीग्राम मंगरावा रायपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ को हिरासत लिया गया। जिसमें से 03 व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध शराब बरामदगी के आधार पर 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा 22 व्यक्तियों का चालान अन्तर्गत धारा 292 बीएनएसएस एंव 05 व्यक्तियों का चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में चालान किया गया।

**05.थाना अतरौलिया: छेड़खानी के अभियोग में 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।**

**पूर्व का विवरण-**  अवगत कराना है कि दिनांक 08.09.2024 को थाना अतरौलिया क्षेत्रान्तर्गत निवासीनी वादिनी मुकदमा द्वारा थाना अतरौलिया आजमगढ़ पर प्रा0पत्र दिया गया कि उसकी नाबालिक पुत्री के साथ गांव के ही दो बाल अपचारियों द्वारा गलत नियत से छेड़छाड़ किया गया, के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 320/24 धारा 74 बीएनएस व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 मयंक नरायन सिंह के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

**पुलिस अभिरक्षा मे लिये जाने का विवरणः-** आज दिनांक 10.09.2024 को उ0नि0 मयंक नरायन सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित दोनो बाल अपचारी के उसके घर ग्राम गजईपुर समय 13.10 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।